प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) संख्या 1151/2009

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी: देव कुमार साहू एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

तथा

रिट याचिका (227) संख्या 1263/2009, रिट याचिका (सेवा) संख्या 2848, 2935, 7140 एवं 7481/2009, रिट याचिका (सेवा) संख्या 1159 एवं 2108/2010, रिट याचिका (सेवा) संख्या 1345/2009

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्णय के लिए दिनांक 8 अगस्त, 2011 को सूचीबद्ध किया जाये ।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) संख्या 1151/2009

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी: देव कुमार साहू एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (227) संख्या 1263/2009

याचिकाकर्ता: कमलेश एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) संख्या 2848/2009

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी: पुरुषोत्तम निषाद एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) संख्या 2935/2009

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी: श्रीमती सरिता नेताम एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) संख्या 7140/2009

याचिकाकर्ता: पल्टन राम एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) संख्या 7481/2009

याचिकाकर्ता: लीलाधर पाठक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) संख्या 1159/2010

याचिकाकर्ता: गायत्री साहू

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) संख्या 2108/2010

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी: बिसाहत्तर निषाद एवं एक अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) संख्या 1345/2009

याचिकाकर्ता: कु. कल्पना देशमुख

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिकाएं)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

–

उपस्थित:

श्री मनोज परांजपे, श्रीमती शर्मिला सिंघई, श्री जितेंद्र पाली, श्री वरुण शर्मा एवं श्री सुनील साहू, अधिवक्ता, संबंधित याचिकाकर्ताओं के लिए।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता, श्री अरुण साव, श्री पंकज श्रीवास्तव एवं श्री दिनेश आर.के. तिवारी, अधिवक्ता, संबंधित उत्तरवादिगणों के लिए।

–

(दिनांक 8 अगस्त, 2011 को उद्घोषित)

1. चूंकि रिट याचिका (227) संख्या 1151 एवं 1263 वर्ष 2009, रिट याचिका (सेवा) संख्या 2848, 2935, 7140 एवं 7481 वर्ष 2009, रिट याचिका (सेवा) संख्या 1159 एवं 2108 वर्ष 2010, रिट याचिका (सेवा) संख्या 1345 वर्ष 2009, एक ही प्रकार के तथ्यों और विधि के प्रश्न से संबंधित हैं, अतः इन सभी याचिकाओं का एक ही निर्णय द्वारा निराकरण किया जा रहा हैं।

2. इन याचिकाओं में दिनांक 23-12-2008, 23-12-2008, 23-12-2008, 30-1-2009 एवं 23-12-2008 को पंचायत निदेशक द्वारा क्रमशः रिट याचिका (227) संख्या 1151/2009, रिट याचिका (स) संख्या 2935/2009, रिट याचिका (स) संख्या 2848/2009, रिट याचिका (227) 1263/2009 एवं रिट याचिका (स) संख्या 2108/2010 में पारित आदेशों को, तथा दिनांक 24-11-2008, 16-11-2009, 16-11-2009 एवं 16-11-2009 को क्रमशः रिट याचिका (स) संख्या 1345/2009, रिट याचिका (स) संख्या 7140/2009, रिट याचिका (स) संख्या 7481/2009 एवं रिट याचिका (स) संख्या 1159 वर्ष 2010 में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की चुनौती दी गई है जिनके द्वारा याचिकाकर्ताओं की शिक्षा कर्मी ग्रेड-**III** के पद पर नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता उचित चयन प्रक्रिया के पश्चात् और दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद शिक्षा कर्मी, ग्रेड-**III** के पद पर नियुक्त किए गए थे। याचिकाकर्ताओं की चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1997 (संक्षेप में 'नियम, 1997' कहे जाते हैं) में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित की गई थी। इसके पश्चात्, चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले कुछ अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों द्वारा कलेक्टर, रायपुर को कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने उपर्युक्त शिकायतों के आधार पर जांच की और कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात्, कलेक्टर ने इस निर्णय के कंडिका 2 में वर्णित आदेशों द्वारा याचिकाकर्ताओं की शिक्षा कर्मी ग्रेड-**III** के पद पर नियुक्ति को निरस्त कर दिया। अतः ये याचिकाएं प्रस्तुत की गई है ।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. श्री मनोज परांजपे, श्रीमती शर्मिला सिंघई, श्री जितेंद्र पाली, श्री वरुण शर्मा और श्री सुनील साहू, अधिवक्ता, जो याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए, ने प्रस्तुत किया कि आक्षिपित आदेश पारित करते समय कलेक्टर ने तालिक अनियमितता और अवैधता के साथ कार्य किया है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1993' कहा जाता है) की धारा 85 के प्रावधानों की सच्चे अर्थ में बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं की है। जांच कार्यवाही

याचिकाकर्ताओं की पीठ के पीछे शुरू की गई है और जांच प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ताओं को प्रदान नहीं की गई है। आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किए गए हैं, जो विधि की दृष्टि से क़ायम रखने जाने योग्य नहीं हैं।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश इस आरोप पर पारित किए गए हैं कि याचिकाकर्ताओं ने धोखाधड़ी से नियुक्ति प्राप्त की है और कलंकित आदेश उचित जांच किए बिना पारित किया गया है। पंचायत निदेशक ने भी आक्षेपित आदेश को अपील ज्ञापन में उठाए गए तर्कों की विश्लेषण किए बिना पारित किया है और यह मानते हुए कि कलेक्टर ने अधिनियम, 1993 की धारा 85(1) के तहत अपनी शक्ति का सही ढंग से प्रयोग किया है, कलेक्टर के आदेश को कायम रखा है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. इसके विपरीत, श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता, श्री अरुण साव, श्री पंकज श्रीवास्तव और श्री दिनेश आर.के. तिवारी, अधिवक्ता, जो प्रतिवादियों के लिए उपस्थित हुए, ने तर्क प्रस्तुत किया कि शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति के समय कुछ अवैधता संबंधी शिकायतें प्राप्त होने के बाद एक जांच समिति गठित की गई और जांच कार्यवाही के दौरान तहसीलदार ने याचिकाकर्ताओं के कथन दर्ज किए, जिनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने कोई कूटरचित

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं और उनकी नियुक्ति विधि के अनुसार थी। इस बीच, जांच समिति ने उन संस्थाओं से दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की, जहां से पाया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित थे। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया और प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को उचित नोटिस जारी किए गए, उनके उत्तर प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ताओं के कथन दर्ज किए गए और मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को निरस्त करने वाला आदेश पारित किया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आक्षेपित कार्यवाही याचिकाकर्ताओं की पीठ पीछे की गई है। अतः याचिकाकर्ता किसी अनुतोष के हकदार नहीं हैं और याचिकाओं को खारिज किया जाए ।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, याचिकाओं और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया ।

8. कलेक्टर ने दिनांक 27-11-2007 के आदेश (अनुलग्नक-आर4/6) द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार, जनपद रायपुर को दिनेश कुमार चंद्राकर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर निम्नलिखित अनियमितताओं और अवैधता संबंधी जांच करने के लिए निर्देशित किया:

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की जाए। जांच समिति के सदस्यों का नामांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा ही किया जावेगा ।

2. चूंकि नियुक्ति हो चुकी है तथा शिक्षा कर्मियों द्वारा कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया है, अतः आक्षेपित शिक्षा कर्मियों के प्रश्नगत अनुभव प्रमाणपत्र/खेलकूद प्रमाणपत्र का संबंधित संस्था से सत्यापन कराया जावे ।

3. आक्षेपित आवेदकों (शिक्षा कर्मियों) के मूल आवेदन एवं नियुक्ति दस्तावेज प्राप्त कर शिक्षा कर्मियों को समक्ष में बुलाकर दस्तावेजों का परीक्षण किया जावे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. जांच में पाई गई कमियों/अनियमितताओं के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ ही धारा 85 या धारा 91 के तहत विधिवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे ।

5. जांच में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं चयन समिति के सदस्यों द्वारा की गई लापरवाही/अनियमितता की जांच कर पृथक्-पृथक् प्रतिवेदन एवं शिक्षा कर्मियों द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करना पाए जाने पर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने हेतु प्रतिवेदन दिया जावे ।

6. संपूर्ण जांच प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलौदाबाजार को आवश्यक सहयोग दिया जावे ।

9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने उपर्युक्त आदेश के अनुसार, दिनांक 27-11-2007 के आदेश (अनुलग्नक-आर4/7) द्वारा दस्तावेजों की जांच करने और सभी उम्मीदवारों के कथन दर्ज करने के लिए तहसीलदार, पालारी; ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पालारी; ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार और प्राचार्य प्रभारी, पंडित लक्ष्मी प्रसाद तिवारी सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलौदाबाजार से संबंधित एक जांच समिति गठित की।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. जांच पूर्ण करने के बाद, दिनांक 28-1-2008 के ज्ञापन (अनुलग्नक-आर4/8) द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 133 शिक्षा कर्मियों में से 97 उम्मीदवारों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकी। सभी 97 मामलों में, उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित पाए गए, क्योंकि ये दस्तावेज संबंधित विभागों/संस्थानों द्वारा जारी नहीं किए गए थे। यह निष्कर्ष दिया गया कि चूंकि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र कूटरचित/असत्य थे, अतः वे चयन के लिए पात्र नहीं थे।

11. दिनांक 24-5-2008 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पालारी के विरुद्ध पुलिस थाना पालारी में भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471

एवं 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपराध संख्या 135/2008 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके पश्चात्, याचिकाकर्ताओं को अधिनियम, 1993 की धारा 85(1) के प्रावधानों के तहत उनकी नियुक्ति क्यों न निरस्त की जाए, इस संबंध में नोटिस जारी किए गए।

12. याचिकाकर्ताओं ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया और उत्तर पर विचार करने के बाद और याचिकाकर्ताओं के कथन दर्ज करने के बाद, डबल्यू.पी. (227) संख्या 1151/2009 में उत्तरवादीगण संख्या 4 द्वारा दायर की गई प्रतिलिपि के कंडिका 5 में जैसा बताया गया है, वैसे ही याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को निरस्त करने वाला आदेश पारित किया गया है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने इसके विरुद्ध निदेशक (पंचायत) को अपील दायर की है। अपीलें भी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को कायम रखते हुए खारिज कर दी गई हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. अधिनियम, 1993 की धारा 85(1) निम्नलिखित प्रकार है:

धारा 85. आदेशों आदि का निष्पादन, निलंबित करने की शक्ति,-

(1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, और उसमे कथित किए जाने वाले कारणों से, पंचायत द्वारा पारित किसी संकल्प के, जारी किए गये किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निष्पादन को

निलंबित कर सकेगा या किसी पंचायत द्वारा किसी कृत्य के पालन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय में, -

(क) का ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कार्य वैध रूप से पारित, जारी, मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है/ नहीं की गई है, या

(ख) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति , अनुज्ञा या कार्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे है या किसी विधि के प्रतिकूल है, या

(ग) ऐसे संकल्प या आदेश के निष्पादन से या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लगातार प्रवृत्त बने रहने से या ऐसे कार्य किये जाने से-

(एक) पंचायत में निहित किसी धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होना या उसमे निहित किसी संपत्ति का नुक़सान होना संभाव्य है;

(दो) सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है;

(iii) जनता या व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या क्षोभ होना संभाव्य है; या

(iv) शांति भंग होना संभाव्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. कलेक्टर ने अधिनियम, 1993 की धारा 91 के तहत और छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1995 (संक्षेप में "नियम, 1995" कहे जाते हैं) के नियम 5 के साथ पढ़ते हुए अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए, मामले को स्वत: संज्ञान लिया और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद नियुक्ति के आदेश को पलट दिया।

15. याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि प्रारंभिक जांच के बाद, प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रदान किए बिना नोटिस जारी किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि याचिकाकर्ता उस प्रतिवेदन का जवाब देने की स्थिति में नहीं थे जब उस प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के कई निर्णयों का अवलंब लिया ।

17. उच्चतम न्यायालय ने उत्तरप्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह के मामले में यह निर्धारित किया है कि "यह कोई अटूट विधिक नियम नहीं है कि उच्चतर न्यायालय को याचिका (रिट) से इंकार करना चाहिए, जब अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, प्राकृतिक न्याय के समस्त सिद्धांतों और स्वीकृत प्रक्रियात्मक

नियमों का त्याग करते हुए ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा है जो न्याय और निष्पक्षता की भावना को आहत करता है, केवल इसलिए कि ऐसा निर्णय किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा अपील या पुनरीक्षण में पुष्ट किया गया है।"

18. उत्तरप्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह के तथ्य (उपयुर्क्त) वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक न्याय की मूलभूत आवश्यकता, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक जांच में और उसके पश्चात् आक्षेपित आदेश के पारित किए जाने से पहले दूसरी वेतन सूचना प्रदान की जाए, याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई है। और यह भी ऐसा मामला नहीं है कि रिट न्यायालय ने इस याचिका का संज्ञान लेने से इंकार किया हो इस आधार पर कि कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश को पंचायत निदेशक द्वारा पुष्टि कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ एवं अन्य बनाम एस.के. कपूर[1] में यह निर्णय दिया कि प्रतिवेदन की प्रति अपचारी कर्मचारी को अग्रिम रूप से प्रदान की जानी चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जहां जांच अपचारी कर्मचारी की अनुपस्थिति में की गई थी, जबकि वर्तमान मामले में दोषी कर्मचारियों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था।

[1] 2011 ए आई आर एससीडब्ल्यू 1814

20. मोहिंदर सिंह गिल और एक अन्य बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य[2] का मामला वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

21. हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड बनाम डेरियस शापुर चेनई और अन्य[3] का मामला, जो भूमि अधिग्रहण का मामला था, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत एक अन्य निर्णय अर्थात् हुकुम चंद श्यामलाल बनाम भारत संघ और अन्य[4] भी लागू नहीं होता है।

22. उच्चतम न्यायालय का निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और एक अन्य बनाम मोहम्मद इस्माईल और अन्य[5] लोक पद के धारक द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग से संबंधित है। विवेकाधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए और शक्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. वर्तमान मामलों में, मैंने यह नहीं पाया है कि कलेक्टर द्वारा किया गया प्रयोग किसी भी तरीके से कमजोर या अनियमित है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है।

24. इस न्यायालय के निर्णय दुर्गेश प्रसाद सिन्हा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य[6] संबद्ध मामले पर याचिकाकर्ताओं की निर्भरता इस मामले में सुसंगत नहीं है,

---

[2] ए आई आर 1978 एससी 851
[3] ए आई आर 2005 एससी 3520
[4] ए आई आर 1976 एससी 789
[5] ए आई आर 1991 एससी 1099
[6] डबल्यू पी (स) संख्या 3012/2009 (दिनांक 7-8-2009 को निर्णीत)

क्योंकि याचिकाकर्ताओं को आदेश पारित किए जाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया था।

25. इस न्यायालय ने भीष्मदेव होता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य[7] में निम्नलिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया:

"10. इस न्यायालय ने मृत्युंजय शुक्ल और अन्य बनाम नगरपालिका निगम, रायपुर और अन्य[8] में, नेहरू युवा केंद्र संगठन बनाम मेहबूब आलम लस्कर[9], पंजाब राज्य और अन्य बनाम कांस्टेबल अवतार सिंह (दिवंगत) उत्तराधिकारी[10] के माध्यम से, अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ और अन्य[11], मणिपुर राज्य और अन्य बनाम वाई. टोकन सिंह और अन्य[12], जस्वंत सिंह प्रताप सिंह जादेजा बनाम राजकोट नगरपालिका निगम और एक अन्य[13], इंदरप्रीत सिंह खालन और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य[14], मोहम्मद सरताज और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य[15], विवेकानंद सेठी बनाम अध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[7] डबल्यू पी (स) संख्या 1558/2009 (दिनांक 25-3-2010 को निर्णीत)
[8] 2009 (1) सीजीएलजी 97
[9] (2008) 2 एसीसी 479
[10] 2008) 7 एसीसी 405
[11] (2007) 4 एसीसी 54
[12] (2007) 5 एसीसी 65
[13] (2007) 10 एसीसी 71
[14] ए आई आर 2006 एससी 2571
[15] (2006) 2 एसीसी 315

अन्य[16], कनारा बैंक और अन्य बनाम देबसिस दास और अन्य[17], बसुदेव तिवारी बनाम सीदो कन्हु विश्वविद्यालय और अन्य[18], डी.के. यादव बनाम जे.एम.ए. उद्योग लिमिटेड और अन्य[19], तथा श्रवण कुमार झा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य[20], में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णयों का अवलंब लेते हुए, निम्नलिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया:

"21. एक सामान्य सूत्र है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसे मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करना आवश्यक नहीं हो सकता है, जहां तथ्य स्वीकृत हैं। दूसरा, व्यावहारिक रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करना असंभव या अत्यंत संभावना है यदि चयन को अनियमितता के कारण निरस्त किया जाए जो बड़े पैमाने पर की गई है, या सामूहिक रूप से निरस्त करना। तीसरा, सुनवाई का अवसर प्रदान करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[16] (2006) 2 एसीसी 315
[17] (2005) 5 एसीसी 337
[18] ए आई आर 1998 एससी 3261
[19] (1993) 3 एसीसी 259
[20] ए आई आर 1991 एससी 310

26. याचिकाकर्ताओं का तर्क कि कलेक्टर को अधिनियम, 1993 की धारा 85(1) के प्रावधानों के तहत नियुक्ति को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल स्थगन से संबंधित है, स्वीकार के योग्य नहीं है।

27. कलेक्टर की शक्ति के संबंध में, इस बात से कोई संदेह नहीं है कि कलेक्टर के पास नियुक्ति के आदेश को समाप्त करने की शक्ति नहीं है। कलेक्टर अपनी पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में नियम, 1995 के नियम 5 के तहत मामले को स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद नियुक्ति के आदेश को पलटने का अंतिम निर्णय ले सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

28. स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ताओं को जांच के दौरान सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था और इसके बाद नियुक्ति को निरस्त करने वाला आदेश पारित किए जाने से पहले नोटिस जारी किया गया था। यहां तक उत्तरवादियों द्वारा नायालय में यह भी कहा गया कि नोटिस के बाद याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था और कलेक्टर के समक्ष उनके कथन दर्ज किए गए थे। उपर्युक्त तथ्यों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन किया गया था। निष्पक्ष कार्यवाही के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

29. कलेक्टर की शक्ति के संबंध में, यह सुस्थापित है कि "जब शक्ति के दो स्रोत हों, भले ही एक लागू न हो, तब भी यदि वैधानिक प्राधिकारी के पास आदेश पारित करने की शक्ति किसी अन्य विधिक स्त्रोत के अंतर्गत उपलब्ध हो तो आदेश अमान्य नही होगा । (देखें: गुजरात उच्च न्यायालय और एक अन्य बनाम गुजरात किसान मजदूर पंचायत और अन्य[21])।

30. उच्चतम न्यायालय ने जे. कुमारदासन नायर और एक अन्य बनाम आई.आर.आई.सी. सोहन और अन्य[22] में यह निर्णय दिया:

> "18. यह भी अब विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी विधि के गलत प्रावधान का उल्लेख करना या किसी प्रावधान का उल्लेख न करना, स्वयं ही न्यायालय का क्षेत्राधिकार छीनने लिए पर्याप्त नहीं होगा, यदि यह अन्यथा विधि में निहित है। अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय केवल यह विचार करेगा कि क्या उसके पास ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई स्रोत है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[21] (2003) 4 एसीसी 712
[22] (2009) 12 एसीसी 175

31. उपर्युक्त चर्चा के अनुसार और वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, परिणामस्वरूप सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

32. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shaantam Patil

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur